न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)
राजस्व प्रकरण संख्या – 120/2020

उनवान

रामचन्द्र पुत्र कजोड जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक – 29.6.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादी को सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2001 को नियमन की गयी :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3723 मिन	6–13–0	1089	0.19
		1090	0.22
		1091	0.34
		1092	0.37

वंर्किग खसरा नम्बर 3723 मिन रकबा 6–13–0 की आराजी वादी के नाम भू संशोधन जमावंदी में खातेदारी थी। भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये लिये राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया जिसके अनुसार जो व्यक्ति भू संशोधन में खातेदार दर्ज है तथा वर्किंग जमाबंदी में आराजी सिवायसचक दर्ज कर दी गयी गई उसे भू संशोधन खातेदार के नाम नियमन की जावे। उक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम अधिकारी द्वारा आराजी मुतनाजा वादी कवे पक्ष में दिनांक 31.12.01 को नियमन की गयी। तथा नामान्तकरण संख्या 541 दिनांक 28.2.2002 द्वारा वंर्किग जमावंदी मे इन्द्राज किया गया। विधि के सुस्थापित सिद्वान्त है कि पूर्व जमावंदी के इन्द्राज अनुसार ही वर्तमान इन्द्राज दर्ज होना चाहिये किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को बिना किसी कारण सिवायचक दर्ज कर दी अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पावद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 541 दिनांक 28.2.02 नियमन से खसरा नम्बर 3723 रकबा 6–13–0 वादी के नाम दर्ज है। नियमन होने से राज्य हित प्रभावित नही होता है।

प्रकरण मे निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी को विधिवत नियमन की [illegible]
—वादी
2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से [illegible] खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—वादी
3. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी रामचन्द्र के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3723 रकबा 6–13–0 की आराजी वादी को कैम्प लोहरवाडा में नियमन हुयी थी। जिसका आदेश संख्या 255 दिनांक 31.12.1 जारी किया गया। न्यायालय द्वारा तहसील नसीराबाद से भू संशोधन जमाबंदी तलब की गयी जिसके खाता संख्या 34 में वंर्किग खसरा नम्बर 3723 रकबा 8–9–0 वादी के पिता कजोड पुत्र रूघा के नाम खातेदारी दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन कर मान्यता समाप्त करने के बाद अवशेश प्रकरणों के निस्तारण के लिये परिपत्र जारी किया गया। आवंटन समिति की बैठक में अतिक्रमण व नियमन के प्रकरणों का परीक्षण करके राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भू. आवंटन नियम 1970 के नियम 20 क के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) नियमन की सिफारिश करने से वादी को उक्त आराजी नियमन करने के आदेश अन्य व्यक्तियों के साथ जारी किये गये। जिसकी कम संख्या 2 में वादी को आराजी मुतनाजा नियमन किये जाने के आदेश जारी है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 541 दिनांक 24.01.2002 को भरा गया जो दिनांक 28.02.2002 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057–60 के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 3723 मिन रकबा 1–11–0 पूर्व में खातेदारी में दर्ज था। खसरा नम्बर 3723 मिन रकबा 0–5–0 चाह व खसरा नम्बर 3723 मिन रकबा 6–13–0 बारानी 3 सिवायचक खाते में दर्ज था। इस प्रकार वंर्किग खसरा नम्बर 3723 का कुल रकबा 8–9–0 था। जिसमें वादी को 6–13–0 का नियमन हुआ। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1089/0.19, 1090/0.22, 1091/0.34, 1092/0.37, 1093/0.23 व 1094/0.02 बने है जिसमें से खसरा नम्बर 1093 व 1094 वादी की खातेदारी में दर्ज है तथा शेष खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादी को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी को कुल 6–13–0 का नियमन किया गया था। वादी द्वारा कुल 1.12 रकबे का अनुतोष चाहा है जबकि वादी 1.07 रकबे पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1089/0.19, 1090/0.22, 1091/0.34, 1092/ 0 32 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। ... की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29/6/22 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

रामचन्द्र बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 120/2020
पेश करने की दिनांक – 03.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुददई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1089/0.19, 1090/0.22, 1091/0.34, 1092/0.32 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 29 माह 06 सन् **2022** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:08 IST
Reason: SelfAttested